रोहतक कार्यालय में, हालांकि इसका प्रभाव झज्जर कार्यालय से अवशिष्ट की वसूली के संबंध में हो सकता है।चूंकि बीर सिंह सेवा में थे और 7 नवंबर, 1983 को रोहतक में सिरी राम प्रतिवादी से वरिष्ठ थे, इसलिए वे 1 फरवरी, 1981 से चयन श्रेणी प्रदान करने के हकदार थे।इस प्रकार निचली अदालत ने सही फैसला सुनाते हुए बलबीर सिंह द्वारा मुकदमा मुकदमे को सही ठहराया।

(9) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, इस अपील की अनुमति है।निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है और मुकदमाी के मुकदमे का आदेश देने वाले निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जे एस टी।

माननीय जी. आर. मजीठिया *और एस. के. जैन, जे. जे. के सामने*

कर्मा,-याचिकाकर्ता,

बनाम

आयुक्त। रोहतक विभाजन और *अन्य,-उत्तरदाता।*

1993 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 11199।

2 दिसंबर, 1993।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226/227-पंजाब* ग्राम *सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन* अधिनियम *1980 (1981 का* 2)-धारा 13 बी-अचल संपत्ति में *स्वामित्व, अधिकार के संबंध में पंचायत के दावे के संबंध में पारित आदेश-क्या खंड विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी अपने पद के आधार पर ग्राम* पंचायत *की ओर से अपील दायर करने में सक्षम हैं।*

अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 13ए के तहत न केवल ग्राम पंचायत बल्कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी भी किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करते हुए मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह या तो निहित है या पंचायत में निहित माना जाता है। संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी, लेकिन उस पद के कारण जो वह धारण कर रहा है, अधिनियम की खंड 13ए के तहत मुकदमे में पारित सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील करने का हकदार है। खंड 13ए में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति मुकदमा या अपील दायर कर सकते हैं यदि वे विशेष रूप से अधिकृत हैं। लेकिन खंड विकास और पंचायत अधिकारी के मामले में, मुकदमा को प्राथमिकता

देने की शक्ति अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। वह उस पद के आधार पर मुकदमा दायर कर सकता है जो उसके पास है और किसी विशिष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है।यदि वह सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है

अधिनियम की खंड 13ए के तहत एक मुकदमा, वह सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति होगा और अधिनियम की खंड 13बी के तहत अपील करने में सक्षम होगा, खंड विकास और पंचायत अधिकारी अपील दायर करने के लिए सक्षम था।

(पैरा 6)

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता रामेश्वर मलिक*|

पी. एस. कादियान, डी. ए. जी. हरियाणा उत्तरदाताओं संख्या *1 से3* के लिए|

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) यह निर्णय 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 11199,11668,11669,11686,11687,11688,11791 और 11792 का निपटारा करता है।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इन याचिकाओं में, रोहतक डिवीजन, रोहतक के आयुक्त के 27 अगस्त, 1993 के आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें कलेक्टर, पानीपत के 27 जुलाई, 1993 के आदेशों में संशोधन की पुष्टि की गई है, जिसमें खंड विकास और पंचायत अधिकारी, मदलाउदा, तहसील और जिला पानीपत द्वारा से ग्राम पंचायत, गाँव जोशी की ओर से अपील दायर करने में देरी को माफ किया गया है।

(3) 1993 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 11199 में अभिवचनों से प्रासंगिक तथ्यों का संदर्भ दिया गया हैः—

(4) याचिकाकर्ता ने पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, अधिनियम) की खंड 13-ए के तहत मुकदमा दायर किया।यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता अधिनियम के शुरू होने से पहले भूमि के कब्जे में था। राजस्व अधिकारियों ने गलत तरीके से उनके कब्जे वाली जमीन को ग्राम पंचायत, गाँव जोशी के पक्ष में बदल दिया।यह मुकदमा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, पानीपत द्वारा 18 फरवरी, 1993 *के* आदेश द्वारा डिक्री किया गया था।सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के फैसले और फरमान के खिलाफ अपील ग्राम पंचायत की ओर से ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी, मदलाउदा द्वारा से कलेक्टर, पानीपत के समक्ष की गई थी।अपील समय से परे दायर की गई थी। देरी से दाखिल करने में देरी को माफ

करने के लिए सीमा अधिनियम की खंड 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था। कलेक्टर ने देरी को माफ कर दिया और यह भी कहा कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत के नेता पर अपील दायर करने के लिए सक्षम हैं। याचिकाकर्ता ने रोहतक डिवीजन, रोहतक के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में कलेक्टर के आदेश चुनौती दी।पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखा गया।

(6) इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर और आयुक्त के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत की ओर से अपील दायर करने में सक्षम नहीं थे।

(7) धारा 13-ए, 13-बी, 13-सी और 13-डी को 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 2 द्वारा अधिनियम में पुरःस्थापित किया गया था जिसे पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1980 कहा जाता है। इन खंडों का पाठ इस प्रकार हैः—

"13-ए. *निर्णय।*

(1) कोई भी व्यक्ति या पंचायत के मामले में, या तो पंचायत या उसके ग्राम सचिव, संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, किसी भी भूमि या अन्य अचल पर अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करता है। इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित या निहित समझी गई संपत्ति, पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर, न्यायनिर्णयन के लिए मुकदमा दायर कर सकती है, चाहे वह ऐसा हो जमीन या अन्य अचल संपत्ति शामलात देह है या नहीं और क्या कोई जमीन या अन्य अचल संपत्ति या कोई अधिकार, टिटजे या। उसमें निहित हित इस अधिनियम के तहत किसी पंचायत में, प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के न्यायालय में, उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले, जहां ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है, में निहित है या निहित नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के तहत मुकदमों को तय करने की प्रक्रिया वही होगी जो] सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित है।

13-ख. *अपील और पुनरीक्षण।*

(1) खंड 13-ए के तहत पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, कलेक्टर को ऐसे प्रपत्र और तरीके से अपील करना

पसंद करता है, जो निर्धारित किया जाए, और कलेक्टर अपील सुनने के बाद, आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या उलट कर सकता है जैसा वह उचित समझता है।

(2) आयुक्त, स्वप्रेरणा संज्ञान *लेते हुए,* किसी भी समय, कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी से पहले लंबित किसी भी कार्यवाही या पारित आदेश का रिकॉर्ड मांग सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

13-ग. *आदेशों की अंतिमता।*

(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर, कलेक्टर या आयुक्त द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी अदालत में किसी भी तरह से प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।

13-घ. *इस अधिनियम के प्रावधान सर्वोपरि होंगे*।

इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी भी कानून, समझौते, लिखत, प्रथा, उपयोग, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी विपरीत चीज़ के बावजूद प्रभावी होंगे।"

धारा 13-ए में कहा गया है कि संबंधित पंचायत या संबंधित खंड विकास और पंचायत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी भूमि में किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित के संबंध में न्यायनिर्णयन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। या अधिनियम के तहत पंचायत में निहित या निहित समझी जाने वाली अन्य अचल संपत्ति। मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित है। धारा 13-बी में परिकल्पना की गई है कि धारा 13-ए के तहत पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति तीस दिनों की अवधि के भीतर आदेश की तारीख से, कलेक्टर को ऐसे रूप और तरीके से अपील करें, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, और कलेक्टर पक्षों को सुनने के बाद धारा 13 के तहत पारित सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेश की पुष्टि, परिवर्तन या उलट कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 13-बी (1) के तहत पीड़ित व्यक्ति का संदर्भ धारा 13-ए (आई) में उल्लिखित व्यक्ति से है। धारा 13-ए के तहत न सिर्फ ग्राम पंचायत बल्कि यहां तक कि. बीएल-ऑफिक विकास और पंचायत अधिकारी किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करते हुए मुकदमा दायर कर सकता है, जिसके बारे में

उसने दावा किया है कि वह या तो पंचायत में निहित है या माना जाता है।

पीड़ित व्यक्ति वे होंगे जो अधिनियम की धारा 13-ए में वर्णित हैं, यदि धारा 13-ए के तहत आदेश किसी अचल संपत्ति में दावा किए गए अधिकार, शीर्षक या हित के संबंध में पंचायत के दावे को अस्वीकार करते हुए पारित किया गया है, तो धारा 13-ए में उल्लिखित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 13-बी (1) के तहत अपील में इसे चुनौती देने का अधिकार है। संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने पद के आधार पर अधिनियम की धारा 13-ए के तहत एक मुकदमे में पारित सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील करने का हकदार है। धारा 13-ए में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति मुकदमा या अपील दायर कर सकते हैं यदि उन्हें विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। लेकिन। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के मामले में मुकदमा दायर करने की शक्ति कानून के तहत प्रदान की गई है। वह अपने पद के आधार पर मुकदमा दायर कर सकता है और इसके लिए किसी विशिष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि वह अधिनियम की धारा 13-ए के तहत किसी मुकदमे में सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है। वह सहायक कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति होगा और अधिनियम की धारा 13-बी के तहत अपील करने में सक्षम होगा। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपील दायर करने के लिए सक्षम थे।

(8) इसके अलावा, लिखित बयान में उत्तरदाताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ग्राम पंचायत के सरपंच, जोशी, के परिवार के सदस्य उस मुकदमे में पक्षकार थे, जिसका फैसला सहायक कलेक्टर I ग्रेड द्वारा किया गया था। उन परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि मुकदमे की प्रस्तावना में उल्लिखित भूमि पंचायत में निहित नहीं थी और उनकी निजी संपत्ति थी। पंचायत के सरपंच ने मुकदमा नहीं लड़ा। प्रतिवादियों ने लिखित बयान में कहा है कि सरपंच मुकदमे के वादी पक्ष के साथ मिलीभगत कर रहा था। सरपंच पंचायत के हितों की रक्षा नहीं कर रहा था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और सहायक कलेक्टर I ग्रेड के निर्णयों और डिक्री के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें पंचायत के खिलाफ राहत सरपंच के रिश्तेदारों के पक्ष में दी गई थी। अपील दायर करने में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की कार्रवाई न केवल कानून में उचित है, बल्कि मामले के सिद्ध तथ्यों पर भी मान्य है।

ऊपर बताए गए कारणों से, ये रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी